उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-75/2026/761 के-2/22-3-2025-17(243)/2024

लखनऊः दिनांकः 20 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल (बन्दी संख्या-50605) पुत्र श्री प्यारे, निवासी-ग्राम भगता नगला, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-**983/2007** के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ के आदेश दिनांक **22**.03.2023 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 15.08.2024 तक भोगी गयी 01 वर्ष, 06 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष, 11 माह की सपरिहार सजा, बंदी की आयु 81 वर्ष, 24 दिन व जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

3- पुलिस अधीक्षक, बदायूँ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारगार, बरेली।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।